कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्या– 534 /खनन सहा0–2020 दिनांक 22 मई, 2020

विज्ञापन

अधिसूचना संख्या–470/VII-A-1/2020/31–ख/17टीसी दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज(परिहार) नियमावली, 2001 तथा औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 200/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में संशोधन करते हुए नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु संबंधित भूस्वामी के पक्ष में उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) तथा चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति का प्राधिकार जिलाधिकारी को प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्राविधानानुसार जनपद हरिद्वार में नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा का आवंटन संबंधित भूस्वामी के पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र एम0एम0 1 में आमंत्रित किये जाते है। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि:–

(1) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा हेतु भूस्वामी ही चुगान/खनन पट्टा आवंटन/स्वीकृति हेतु पात्र होगें।

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा संबंधित भूस्वामी को स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0 1 में दिनांक 10.06.2020 तक **जिला कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार** में जमा किये जायेंगे।

(3) उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0 1 की प्रति **जिला कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार** से प्राप्त की जा सकती है।

(4) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) का चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदनकर्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु **जिला कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार के भूतल स्थित कक्ष संख्या–116** में सहायता केन्द्र (Help Desk) स्थापित किया गया है।

(5) जिला कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार में स्थापित सहायता केन्द्र(Help Desk) में प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को पूर्वाहन 9.30 से अपरान्ह 1.30बजे तक निम्न अधिकारी उपस्थित रहेंगे:–

(i) डा0 दीपक हटवाल, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार मो0न0–8192802327

(ii) श्री आशीष घिल्डियाल, तहसीलदार हरिद्वार मो0न0–7535047189

(6) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज(बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान में चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) दिनांक 30.06.2020 तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(शैलेन्द्र सिंह नेगी)
प्रभारी अधिकारी(खनन)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– 1–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2–उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर/नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, हरिद्वार को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति शासकीय दर पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– डा0 दीपक हटवाल, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन करते हुए चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में आवश्यक जानकारी/सहायता आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– श्री आशीष घिल्डियाल, तहसीलदार हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन करते हुए चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में आवश्यक जानकारी/सहायता आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

22/5/2020

प्रभारी अधिकारी(खनन)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।